



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2716/2026

शिक्षा

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

ए.जेड. खान

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता, राज्य के अधिवक्ता ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 621/2025, धारा 103(1), 238(A) बीएनएस, पुलिस स्टेशन देवबंद, जिला सहारनपुर के तहत, मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। घटना के लगभग एक महीने बाद पहली बार उसका नाम आया है, वह भी आवेदक के पति के न्यायेतर बयान में, जिसका कानून की नजर में कोई सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है। आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए, वह एक महिला होने के नाते जमानत की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 8.11.2025 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर कोई बहस नहीं हो सकी।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एप्लीकेंट का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है और और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंजूर** की जाती है।

8. आवेदक- शिक्षा, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।